इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.


# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2024—आश्विन 26, शक 1946


## भाग 3 ( 1 )

## विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

अर्चना चंद्रवंशी पति श्री अशोक कुमार चंद्रवंशी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि शादी से पूर्व मेरा नाम अर्चना सिंह पिता श्री नवल किशोर सिंह लिखा—पढ़ा जाता था जो कि शैक्षणिक दस्तावेज आदि में दर्ज है लेकिन अशोक कुमार चंद्रवंशी से विवाह के बाद अब मेरा नाम अर्चना चंद्रवंशी पति श्री अशोक कुमार चंद्रवंशी हो गया है जो आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि में दर्ज है. अतः अब मुझे अर्चना चंद्रवंशी पति श्री अशोक कुमार चंद्रवंशी के नाम से भविष्य में पढ़ा—लिखा व माना—जाना जाय.

**पुराना नाम**
**(अर्चना सिंह)**
आत्मज—श्री नवल किशोर सिंह

**नया नाम**
**(अर्चना चंद्रवंशी)**
पति — श्री अशोक कुमार चंद्रवंशी
पता — एस—5, वार्ड नं. 43, गोपाल कॉलोनी टिकुरिया टोला सतना,
तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.).

(G-2277)

#### नाम परिवर्तन

मैं, शालू ठाकुर दांगी, आयु व्यस्क पुत्री श्री मुकेश सिंह ठाकुर, निवासी जैन मंदिर के पीछे, वार्ड नं. 11, नगर परिषद् शाहपुरा, गनेशगंज सागर, जिला सागर (म.प्र.). मेरे समस्त दस्तावेज (आधार कार्ड, पेन कार्ड) में मेरा शालू ठाकुर दांगी (SHALU THAKUR DANGI) है जो कि मेरा पूर्व नाम था. मेरा वर्तमान में नाम शालिनी ठाकुर (SHALINI THAKUR) है जो सही है और इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूं. प्रकाशन उपरांत समस्त दस्तावेजों में नाम शालिनी ठाकुर (SHALINI THAKUR) लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे.

प्रार्थी
(शालिनी ठाकुर)

(G-2278)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उमाकांत अग्निहोत्री आत्मज स्व. श्री रामकिशोर अग्निहोत्री, निवासी–ए–24, फार्च्युन ग्लोरी, एक्सटेंशन बावड़िया कलां, भोपाल (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड–पीपीओ में नॉमिनी के रूप में मेरी पत्नी का नाम त्रुटिवश श्रीमती पुष्पा अग्निहोत्री (Pushpa Agnihotri) अंकित हो गया है जो कि अधूरा है. मेरी पत्नी के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरी पत्नी का नाम श्रीमती पुष्पलता अग्निहोत्री (Pushplata Agnihotri) है. मेरी पत्नी इसी नाम से जानी व पहचानी जाती है. प्रकाशन उपरांत मेरी पत्नी को श्रीमती पुष्पलता अग्निहोत्री (Pushplata Agnihotri) पत्नी श्री उमाकांत अग्निहोत्री के नाम से ही जाना–पहचाना एवं पुकारा जाए.

**आवेदक**

**(उमाकांत अग्निहोत्री)**

पिता – स्व. श्री रामकिशोर अग्निहोत्री.

(G-2279)

---

## नाम परिवर्तन

आमजन को सूचित किया जाता है कि, मेरे अभिलेखों में मेरा नाम ऋषभ मुनी प्रसाद पाण्डेय पिता स्व. महावीर प्रसाद पाण्डेय, निवासी 14–433, अरूण नगर श्रवण कुमारी स्कूल नगर गेट के सामने, जिला रीवा (म.प्र.). मेरे सर्विस दस्तावेजों पर भूलवश मेरा नाम ऋषभाह मुनी प्रसाद अंकित हो गया है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, अन्य रिकार्ड में मेरा नाम ऋषभ मुनी प्रसाद पाण्डेय दर्ज है, जो सही है. प्रकाशन उपरांत सही नाम ऋषभ मुनी प्रसाद पाण्डेय मेरे दस्तावेजों में पढ़ा–लिखा जाना जावे.

**पुराना नाम**

**(ऋषमाह मुनी प्रसाद)**

**नया नाम**

**(ऋषभ मुनी प्रसाद पाण्डेय).**

(G-2280)

---

## उप–नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण हो कि मेरी पुत्री अनुमिता सिंह उक्त नाम इनके दस्तावेज जन्म प्रमाण–पत्र एवं बीमा पालिसी में दर्ज है तथा मेरी उक्त पुत्री का नाम अनुमिता दीक्षित भी है जोकि इनके आधार कार्ड में दर्ज है. उपरोक्त दोनों नाम मेरी उक्त पुत्री के ही होकर एक ही व्यक्ति के नाम परिबद्ध हैं तथा भविष्य में मैं, अब उक्त पुत्री को अनुमिता दीक्षित के नाम से जाना व पहचाना जाय.

**भवदीय**

**(अंजू तड़ियाल)**

पत्नी – श्री सुधीर कुमार सिंह दीक्षित.

निवासी – एच–5, शालीमार पार्क, नीयर विशाल मेगामार्ट, कोलार रोड, भोपाल.

(G-2281)

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी राजेश चौकसे, मेरी पुत्री आरोही चौकसे (Aarohi chouksey) निवासी–265, अशोक विहारकॉलोनी, आनंद नगर, भोपाल के आधार कार्ड में ओजस्वी चौकसे नाम हो गया है जो कि अन्य दस्तावेज जैसे शैक्षणिक दस्तावेज, समग्र आईडी, जन्म प्रमाण–पत्र आदि दस्तावेजों में नाम आरोही चौकसे दर्ज है. जो कि ओजस्वी चौकसे व आरोही चौकसे मेरी पुत्री दोनों के एक ही नाम हैं. भविष्य में ओजस्वी चौकसे को आरोही चौकसे के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

**पुराना नाम**

**(ओजस्वी चौकसे)**

**नया नाम**

**(आरोही चौकसे)**

द्वारा पिता – श्री राजेश चौकसे.

(G-2282)

## नाम परिवर्तन

मैं, सुन्दर लाल गुप्ता (Sunder Lal Gupta) आत्मज स्व. श्री गया प्रसाद गुप्ता निवासी–2265/6, नर्मदा नगर, गोहलपुर, सिटी जबलपुर (म.प्र.) सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सुन्दर लाल गुप्ता (Sundar Lal Gupta) अंकित है जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम सुन्दर लाल गुप्ता (Sunder Lal Gupta) दर्ज है जो कि सही है. दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः भविष्य में मेरा नाम सुन्दर लाल गुप्ता (Sunder Lal Gupta) सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में इन्हीं नामों से जाना एवं पहचाना जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| **(सुंदर लाल गुप्ता)** | **(सुंदर लाल गुप्ता)** |
| **(SUNDAR LAL GUPTA)** | **(SUNDER LAL GUPTA).** |

(G-2283)

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम मीना तलरेजा (MEENA TALREJA) पिता श्री वासुदेव तलरेजा था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है, श्री दिलीप माटा से विवाह के उपरान्त मेरा नाम प्रिया माटा (PRIYA MATTA) पति श्री दिलीप माटा हो गया है, जो मेरे आधार, पेन कार्ड, वोटर कार्ड एवं बैंक पासबुक पर अंकित है, अतः भविष्य में मुझे प्रिया माटा (PRIYA MATTA) पति श्री दिलीप माटा के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| **(मीना तलरेजा)** | **(प्रिया माटा)** |
| **(MEENA TALREJA)** | **(PRIYA MATTA)** |

पति – श्री दिलीप माटा
पता – 53–ए, वीर सावरकर नगर, इंदौर (म.प्र.).

(G-2284)

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का वास्तविक व सही नाम एम अशर खान (M ASHAR KHAN) पिता मोहम्मद असद खान है जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र अंकित है. किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम मो. औरंगजैब खान (MOHD. AURANGZAIB KHAN) दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम एम अशर खान (M ASHAR KHAN) पिता मोहम्मद असद खान के नाम से जाना–पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

**आवेदक**
पिता : मोहम्मद असद खान
पता – 67, कोयला बाखल, इंदौर (म.प्र.).

(G-2285)

---

## नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व का नाम सैय्यद राशिद नकवी हुसैन था. मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर सैय्यद राशिद हुसैन कर लिया है. यह दोनों नाम मेरे ही हैं. मुझे मेरे सही व वर्तमान नाम सैय्यद राशिद हुसैन के नाम से जाना व पहचाना जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| **(सैय्यद राशिद नकवी हुसैन)** | **(सैय्यद राशिद हुसैन)** |

पुत्र – श्री सैय्यद शाकिर हुसैन

(G-2286)

## नाम परिवर्तन

मैं, स्वेता देवी पत्नी श्री ओम कुमार निवासी—म.न. 23, लवकुश नगर, रीगल सिविक सेंटर के पास अवधपुरी, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम दिव्या देवी अंकित हो गया है जबकि मेरा सही व वास्तविक नाम स्वेता देवी है जो कि मेरे अन्य शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम स्वेता देवी (Sweta Devi) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(दिव्या देवी)

नया नाम
(स्वेता देवी)
**(Sweta Devi).**

(G-2287)

---

## आम सूचना

मेसर्स/छाया बिल्डर्स, सागर ग्राम—पगारा, पो. सदर केन्ट, सागर (म.प्र.). पिन 470002 पंजियत फर्म जिसका पंजीयन असिस्टेंट रजिस्टार फर्म एवं सोसायटी सागर (म.प्र.) द्वारा 06/09/01/00010/11 दिनांक 4 मई 2011 को किया गया था. जिसमें निम्नांकित पार्टनर थे— 1. SHRI KATARE YADAV 2. SHRI KULDEEP YADAV जिसमें दिनांक 22 सितंबर 2022 को भागीदार SHRI KULDEEP YADAV S/O SHRI RAM PRASAD YADAV की मृत्यु हो जाने के कारण वह फर्म से स्वतः ही पृथक हो गए हैं एवं दिनांक 23 सितम्बर 2022 को SHRI ARPIT YADAV फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं, जिसके अनुसार दिनांक 23 सितम्बर 2022 से निम्नांकित भागीदारी रहेंगे. 1.SHRI KATARE YADAV 2. SHRI ARPIT YADAV एवं फर्म का मुख्य कार्यालय का पता ग्राम—पगारा, पो. सदर केन्ट, सागर (म.प्र.) से परिवर्तित कर नवीन स्थल H. No. 70, Guru Amardas Colony, Sagar M.P. 470002 हो गया है.

**वास्ते, मेसर्स/छाया बिल्डर्स, सागर**
**KATARE YADAV**
(भागीदार).

(G-2288)

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में नाम दिव्या पोरवाल (DIVYA PORWAL) था जो कि अब बदलकर डाली पोरवाल (DALI PORWAL) पिता सुन्दरलाल पोरवाल (SUNDERLAL PORWAL) निवासी—पोरवाल मोहल्ला गड़ावदीया रतलाम (म.प्र.) हो गया है. अब मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना जावे.

पुराना नाम
(दिव्या पोरवाल)
**(DIVYA PORWAL)**

नया नाम
(डाली पोरवाल)
**(DALI PORWAL)**
पिता—सुन्दरलाल पोरवाल (SUNDERLAL PORWAL)
निवासी—पोरवाल मोहल्ला गड़ावदीया, रतलाम (म.प्र.).

(G-2289)

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में नाम रसना भाभर (RASANA BHABHAR) था जो कि अब बदलकर रसना मेडा (RASANA MEDA) पति—अर्जुन मेडा (ARJUN MEDA) निवासी—125, तोड़ी बडवेली सरदारपुर, धार (म.प्र.) हो गया है. अब मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना जावे.

पुराना नाम
(रसना भाभर)
**(RASANA BHABHAR)**

नया नाम
(रसना मेडा)
**(RASANA MEDA)**
पति – अर्जुन मेडा (ARJUN MEDA)
निवासी—125, तोड़ी बडवेली, सरदारपुर, धार (म.प्र.).

(G-2290)

# विविध

## न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, डबरा, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 02—2023—24—बी—113(1)—2023—24—2399 डबरा, दिनांक 27 सितम्बर 2024

प्ररूप—4

[नियम—5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

पंजीयक,
लोक न्यास,
डबरा, जिला उज्जैन के **समक्ष.**

चूंकि आवेदक लॉयन शम्भूदयाल बंसल, निवासी—सुभाषगंज डबरा आदि तहसील डबरा, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 को विचार के लिए लिया जायेगा.

अतः मैं, दिव्यांशु चौधरी, अनुविभागीय अधिकारी, डबरा, जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 27 सितम्बर 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुतकर्ता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राहय नहीं किया जाएगाः—

**अनुसूची**

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण)

| | | |
|---|---|---|
| लोक न्यास का नाम व पता | : | लायन्स चैरीटेबिल ट्रस्ट, डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.). |
| चल सम्पत्ति | : | निरंक |
| अचल सम्पत्ति | : | लायन्स भवन (अटेण्डर हॉल), डबरा. |

(G-2291) **दिव्यांशु चौधरी,** अनुविभागीय अधिकारी.

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट अनुभाग–देवास, जिला देवास, मध्यप्रदेश**

देवास, दिनांक 14 सितम्बर 2024

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

क्र. 211–रीडर–1–2024.–आवेदक श्री रमेश झाला पिता स्व. भागीरथ झाला पदेन कार्यकारी अध्यक्ष, निवासी–19, मृदुल विहार, देवास (म.प्र.) द्वारा इस न्यायालय में एक आवेदन–पत्र धारा 4(2) मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत ''श्री विश्वकर्मा गुजराती सुतार कल्याणक ट्रस्ट'' 96, मातृ छांया भवन, रानीबाग, उज्जैन रोड, देवास (म.प्र.) के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन–पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा पत्र उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ आवेदन–पत्र संलग्न किया गया है. ट्रस्ट पंजीयन के सम्बन्ध में पंजीयन शुल्क राशि रुपये 100/– के चालन की प्रति के साथ संलग्न की गई है.

अतः '' श्री विश्वकर्मा गुजराती सुतार कल्याणक ट्रस्ट'' 96, मातृ छाया भवन, रानीबाग, उज्जैन रोड़, देवास (म.प्र.) के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

आज दिनांक 14 सितम्बर, 2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

(G-2292) **बिहारी सिंह,** रजिस्ट्रार.

---

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास जूनी इंदौर क्षेत्र, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश**

जूनी इन्दौर, दिनांक 19 अप्रैल 2024

(फार्म–चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 3504–रीडर–1–24.–आवेदक लायन्स इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रटिव आफिसर्स सेवार्थ ट्रस्ट, पता–स्कीम नं. 94, हाऊस नं. 48, ई. सी. रेडिसन होटल के पास, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :–

**परिशिष्ट**

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल संपत्ति का विवरण)

लायन्स इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रटिव आफिसर्स सेवार्थ ट्रस्ट,

पता–स्कीम नं. 94, हाऊस नं. 48, ई. सी. रेडिसन होटल के पास, इन्दौर (म.प्र.)

अचल सम्पत्ति : निरंक

चल सम्पत्ति : 11,000/–

आज दिनांक 19 अप्रैल 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रकाशित किया गया.

(G-2293) **घनश्याम धनगर,** पंजीयक.

## न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील–कोलार, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

प्र.क्र.–0001–बी–113–2024–25. भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2024

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र.–1054–अ.वि.अ.रीडर–2024.–जैसा कि आवेदकगण श्री एम ए उन्निटन (अध्यक्ष), निवासी–नं. 186, गुड शेफर्ड कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल मध्यप्रदेश 462042 एवं अन्य 06 (छः) द्वारा "INSPIRED PEOPLES CARITAS CHARITABLE TRUST" न्यास कार्यालय नं. 186, गुड शेफर्ड कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल मध्यप्रदेश.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 6 नवम्बर 2024 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें. अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :–

### अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : "INSPIRED PEOPLES CARITAS CHARITABLE TRUST" नं. 186, गुड शेफर्ड कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).
2. चल सम्पत्ति : 10,000/–
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

आज दिनांक अक्टूबर, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(G-2294) **रवि शंकर राय,** अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

## न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बीना, जिला सागर, मध्यप्रदेश

बीना, दिनांक 26 सितम्बर 2024

ग्राम–नौगांव, तहसील बीना, जिला सागर (म.प्र.).

क्र. 819–प्रवाचक–1–अ.वि.अ.–2024–25.–एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अरविन्द जैन पिता सुरेशचंद जैन एवं अन्य 05, निवासी–कानूनगो वार्ड, तहसील बीना, जिला सागर, मध्यप्रदेश ने आवेदन पेश कर लेख किया है, कि, लोक न्यास–श्री 108, आचार्य विद्या सागर अथिति भवन छोटी बजरिया, बीना, नजदीक स्थल ग्राम–नौगांव, तहसील–बीना, जिला सागर (म.प्र.) न्यास नियम (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत कथित लोक न्यास की धारा 4 के अन्तर्गत, कथित लोक न्यास क पंजीकरण के लिए आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है. जिसके अध्यक्ष एवं कार्यकारणी न्यासी के नाम व पते निम्नानुसार हैं :–

| क्रमांक | नाम व पद | पता |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | अरविन्द जैन पिता सुरेशचंद चौधरी (अध्यक्ष) | कानूनगो वार्ड बीना, तह. बीना, जिला सागर, मध्यप्रदेश. |
| 2. | सुदीप कुमार जैन पिता शीलचंद जैन (उपाध्यक्ष) | मढिया वार्ड बीना, तहसील बीना, जिला सागर, मध्यप्रदेश. |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 3. | दिनेश जैन भूरे पिता दीपचन्द्र जैन (उपाध्यक्ष) | वीरसावरकर वार्ड बीना, तह. बीना, जिला सागर, मध्यप्रदेश. |
| 4. | विनोद कुमार जैन पिता कपूरचन्द्र जैन (मंत्री) | गनेश वार्ड बीना, तह. बीना, जिला सागर, मध्यप्रदेश. |
| 5. | सुनील जैन पिता दयाचंद जैन (उपमंत्री) | शास्त्री वार्ड बीना, तह. बीना, जिला सागर, मध्यप्रदेश. |
| 6. | संजय कुमार जैन पिता संतोषकुमार जैन (कोषाध्यक्ष) | चन्द्रशेखर वार्ड बीना, तह. बीना, जिला सागर, मध्यप्रदेश. |

न्यास के प्रबंधन एवं पदाधिकारियों को निर्वाचन अनुसार बहुमत के आधार पर नियुक्त किया जायेगा. न्यास का नाम पता एवं सम्पत्ति का विवरण निन्नानुसार हैः—

| | | |
|---|---|---|
| लोक न्यास का नाम | : | लोक न्यास श्री 108 आचार्य विद्या सागर अथिति भवन छोटी बजरिया बीना नजदीक स्थल ग्राम नौगांव, तहसील बीना, जिला सागर मध्यप्रदेश. |
| पता | : | ग्राम नौगांव, तहसील बीना, जिला सागर मध्यप्रदेश. |
| चल सम्पत्ति | : | निरंक |
| अचल सम्पत्ति | : | क्र.1 प्लाट गनेश वार्ड बीना खसरा नंबर 139/411/2 रकबा/क्षेत्रफल 5041 एवं 682 वर्गफुट मूल्य 1639000रु. उक्त खाली जगह स्थित ग्राम नौगांव पटवारी हल्का नंबर 50 राजस्व निरीक्षक बीना, तहसील बीना में स्थित है. उक्त भूमि नरेन्द्र कुमार पुत्र आनंदकुमार जैन, विनोदकुमार जैन पिता कपूरचंद जैन, सुनील कुमार जैन पिता भागचंद जैन, दिनेश जैन पिता दीपचंद जैन, राजीव जैन पिता सुमत कुमार जैन, अरविन्द जैन पिता सुरेशचंद जैन, जितेन्द्र कुमार जैन पिता राजेन्द्र कुमार जैन विजय कुमार जैन पिता प्यारेलाल जैन के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है. किन्तु उक्त भूमि में तथाकथित न्यास के नाम दर्ज नहीं है. |

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति अथवा आवेदन—पत्र इस न्यायालय अनुविभागीय अधिकरी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक बीना, जिला सागर प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् किसी भी आपत्तिकर्ता की अपत्ति अथवा आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 26 सितम्बर, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

पेशी दिनांक 09 अक्टूबर, 2024

(G-2295) **देवेन्द्र प्रताप सिंह,** अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.


# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2024—आश्विन 26, शक 1946


## भाग 3 ( 2 )

## सांख्यिकी सूचनाऐं

(कुछ नहीं)



नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.